

**अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(शैक्षिक अनुभाग)**

फा.सं.-1-2/125वां एसएसी /2026-(पीं एवं टी प्रकोष्ठ)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
दिनांक: 30/09/2026

अधिसूचना

विषय: आंतरिक मूल्यांकन, अंतिम चरण के मूल्यांकन एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए एकीकृत दंड संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करके संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में आंतरिक मूल्यांकन, अंतिम चरण के मूल्यांकन एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए एकीकृत दंड संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन को संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

निम्नलिखित अनुमोदित दिशानिर्देशों को आंतरिक मूल्यांकन, अंतिम चरण के मूल्यांकन तथा व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए एकीकृत दंड के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

1. उद्देश्य

परीक्षाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निष्पक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना तथा अभ्यर्थियों द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों की पहचान एवं उनके निवारण के लिए मानकीकृत प्रक्रिया स्थापित करना।

2. अनुचित साधनों की परिभाषा

अनुचित साधन से आशय ऐसे किसी भी कृत्य से है—जो वह जानबूझकर अथवा अनजाने में किया गया हो—जो परीक्षा संचालन संबंधी नियमों का उल्लंघन करता हो अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता हो। इसमें निम्नलिखित कृत्य शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं—

- अनधिकृत सामग्री अथवा उपकरणों को अपने पास रखना या उनका प्रयोग करना।
- परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करना।
- परीक्षा संबंधी सामग्री के साथ छेड़छाड़ करना।
- प्रतिरूपण करना अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर परीक्षा में बैठाना।
- परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करना अथवा स्टाफ के प्रति दुर्व्यवहार करना।

3. निरीक्षकों का अधिकार-क्षेत्र

परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने में परीक्षा निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके उत्तरदायित्व एवं अधिकारों में निम्नलिखित शामिल हैं—

- संपूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों के आचरण की निगरानी करना।
- संदिग्ध कदाचार की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप करना।
- किसी भी अनधिकृत सामग्री अथवा उपकरणों को जब्त करना।
- घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना।
- सभी संदिग्ध मामलों को परीक्षा अनुचित साधन समीक्षा समिति (ईयूएमआरसी) के हवाले करना।

नोट: निरीक्षकों को जारी अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई करने का अधिकार है।

4. संदिग्ध मामलों के निपटान की प्रक्रिया

I. पहचान एवं रिपोर्टिंग

- निरीक्षक संदिग्ध कदाचार की पहचान करता है।
- घटना की सूचना तत्काल नामित परीक्षा अधिकारी को दी जाती है।
- एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इन पर निरीक्षक और अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

II. साक्ष्य की जब्ती

- सभी अनधिकृत सामग्री/उपकरणों को जब्त करके उन पर लेबल लगाकर हस्ताक्षर किए जाएं।

III. परीक्षा अनुचित साधन समीक्षा समिति (ईयूएमआरसी) के पास भेजना

- सभी मामलों को, बिना किसी अपवाद के, समीक्षा हेतु ईयूएमआरसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

IV. समिति द्वारा समीक्षा

- ईयूएमआरसी प्रत्येक मामले का आकलन निम्नलिखित के आधार पर करेगी:
- निरीक्षक की रिपोर्ट।
- अभ्यर्थी का लिखित वक्तव्य (यदि उपलब्ध हो)।
- सहायक साक्ष्य।

समिति कदाचार की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर उचित कार्रवाई की संस्तुति करेगी।

V. अंतिम निर्णय

अंतिम निर्णय, जिसमें कोई भी दंड शामिल हो सकता है, संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) द्वारा अनुमोदित एवं सूचित किया जाएगा।

5. दंड

समिति के मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई करने की संस्तुति की जा सकती है:

- अभ्यर्थी को लिखित चेतावनी देना तथा उससे वचनबद्धता प्राप्त करना।
- अंकों में कटौती करना अथवा अंकों को निरस्त करना।
- संबंधित प्रश्नपत्र अथवा संपूर्ण परीक्षा को निरस्त करना।
- निर्धारित अवधि के लिए भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना।
- गंभीर मामलों (जैसे प्रतिरूपण, छेड़छाड़ अथवा हिंसा) में शैक्षिक कार्यक्रम से निष्कासन।

यह सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए सूचना है।

प्राधिकार:-

1. दिनांक 15.05.2026 को आयोजित 164वीं शासी निकाय की बैठक द्वारा कार्य-सूची की मद संख्या 164/14 के माध्यम से अनुमोदित।
2. दिनांक 19.11.2025 को आयोजित 125वीं स्थायी शैक्षिक समिति की बैठक द्वारा कार्य-सूची की मद संख्या 125/40 के माध्यम से अनुमोदित।

(प्रो. गिरिजा प्रसाद रथ)

कुल-सचिव

वितरण:-

1. निदेशक महोदय/संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/परीक्षा)/अपर निदेशक (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव/ निजी सचिव, एम्स।
2. वरिष्ठ वित्त सलाहकार/उप-सचिव/वित्त सलाहकार (एम्स)।
3. सभी शैक्षिक विभागों के अध्यक्ष/नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य/संबंधित स्वास्थ्य पाठ्यक्रमों के संकाय प्रभारी।
4. अध्यक्ष/सचिव, एसए/आरडीए/एसवाईएस/एफएआईआईएमएस।
5. कंटेंट प्रोवाइडर (द्वारा प्रभारी-आचार्य, कंप्यूटर सुविधा): कृपया एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।



ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

(ACADEMIC SECTION)

No.F-1-2/125th SAC/2026-(P & T Cell)

Ansari Nagar, New Delhi - 29

Dated: 30/09/2026

NOTIFICATION

Subject: Implementation of guidelines for unified penalty for use of unfair means in internal assessments, end posting assessments & professional examinations.

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority for implementing guidelines for unified penalty for use of unfair means in internal assessments, end posting assessments & professional examinations at AIIMS, New Delhi.

The following approved guidelines for unified penalty for use of unfair means in internal assessments, end posting assessments & professional examinations shall implemented with immediate effect.

1. PURPOSE

To ensure the fair, transparent, and impartial conduct of examinations and to establish a standardized procedure for identifying and addressing instances of unfair practices by candidates.

2. DEFINITION OF UNFAIR MEANS

Unfair means refer to any act—intentional or unintentional—that violates the rules of examination conduct or compromises the integrity of the assessment process. This includes, but is not limited to:

- Possession or use of unauthorized materials or devices.
- Communication with other candidates during the exam.
- Tampering with examination materials.
- Impersonation or use of substitutes.
- Disruption of the examination process or misconduct toward staff.

3. JURISDICTION OF INVIGILATORS

Invigilators plays a central role in maintaining examination integrity. Their responsibilities and authority include:

- Monitoring candidate behavior throughout the examination.
- Intervening immediately in case of suspected misconduct.
- Seizing any unauthorized material or devices.
- Recording a detailed incident report.
- Referring all suspected cases to the Examination Unfair Means Review Committee (EUMRC).

Note: Invigilators are authorized to take immediate preventative actions to stop ongoing unfair practices.

4. PROCEDURE FOR HANDLING SUSPECTED CASES

I. Detection and Reporting

hth

Contd Page 2/-

- Invigilator identifies suspected misconduct.
- Incident is reported immediately to the designated Examination Officer.
- A preliminary report is prepared and signed by the invigilator and candidate.

II. Seizure of Evidence

- All unauthorized materials/ devices are to be confiscated, labeled, and signed.

III. Referral to the Examination Unfair Means Review Committee (EUMRC)

- All cases, without exception, must be submitted to the EUMRC for review.

IV. Committee Review

- The EUMRC will assess each case based on:
 - Invigilator's report
 - Candidate's written statement (if available)
 - Supporting evidence

The Committee will recommend appropriate action based on the severity and nature of the misconduct.

V. Final Decision

The final decision, including any penalties, will be approved and communicated by the Dean (Academic).

5. PENALTIES

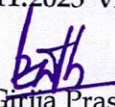
Depending on the Committee's evaluation, any of the following actions may be recommended:

- Written warning and undertaking from the candidate.
- Deduction or cancellation of marks.
- Cancellation of the specific paper or full examination.
- Debarment from future examinations for a defined period.
- Expulsion from the academic programme in severe cases (e.g., impersonation, tampering, or violence).

This is information of all concerned.

Authority: -

1. Approved by 164th Governing Body meeting held on 15.05.2026 vide agenda item no.164/14.
2. Approved by 125th Standing Academic Committee meeting held on 19.11.2025 vide agenda item no.125/40.


(Prof. Grijja Prasad Rath)
REGISTRAR

Distributions:-

1. PPS/PS to Director, AIIMS/Dean (Academics/Examination)/ Addl. Director (Admin.)
2. Sr. Financial Advisor/Dy. Secretary/Financial Advisor (AIIMS)
3. Heads of all Academic Departments/Principal College of Nursing/Faculty In-charges, Allied Health Courses.
4. President/Secretary ASA/RDA/SYS/FAIIMS
5. Sr. Hindi Officer, AIIMS to kindly translate the notification in Hindi version.
6. Content Provider (Thr: PIC, CF) to kindly upload the same in AIIMS website